



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 201]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/ VAISAKHA 26, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 मई, 2016

सं.एल-1/(3)/2009-केविआ.-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

(1) इन विनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 30.5.2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूलविनियम के विनियम 2 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 2 (1) (ज) के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:

"परन्तु यह कि विचलन, संबंधित आरएलडीसी/आरपीसी द्वारा प्रादेशिक इकाइयों के लिए संगणित किया जाएगा जिसे एसएलडीसी द्वारा राज्य के अन्दर सन्निहित विभिन्न इकाइयों को प्रदान किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 2(1) के खण्ड (ड) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा:

"(ड-1) 'नवीकरणीय समृद्ध राज्य' से ऐसे राज्य अभिप्रेत हैं जिसकी पवन तथा सौर ऊर्जा की न्यूनतम सम्मिलित संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक है।

टिप्पण: आगामी मास की संस्थापित क्षमता को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मास के अंतिम दिन को संस्थापित क्षमता के आधार पर मानी जाएगी।"

3. मूलविनियम के विनियम 5 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 5 (1) के परन्तुक के खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

"अनुसूची के 12% के आधिक्य में या 150 मेगावाट, इनमें जो भी कम है, किसी समय-ब्लॉक में क्रेता द्वारा कम निकासी के लिए विचलन के लिए प्रभार (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) शून्य होंगे:

परन्तु यह कि यदि किसी समय ब्लॉक में क्रेता की अनुसूची (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो 48 मेगावाट के आधिक्य में कम निकासी के लिए विचलन हेतु प्रभार शून्य होंगे:

परन्तु यह कि अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधिक्य में नवीकरणीय समृद्ध राज्य द्वारा कम निकासी के लिए विचलन शून्य होगा।”

- (2) मूल विनियम के विनियम 5(1) के परन्तुक के खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

“किसी समय ब्लॉक में अनुसूची के 12% के आधिक्य में या 150 मेगावाट, इनमें जो भी कम हो, विक्रेता (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) द्वारा अधिक अन्तःक्षेपण के लिए विचलन हेतु प्रभार इनफर्म ऊर्जा के अन्तःक्षेपण के मामले को छोड़कर, जिसे इस विनियम के खण्ड (5) द्वारा शासित किया जाएगा, शून्य होगा:

परन्तु यह कि यदि किसी समय ब्लॉक में विक्रेता (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) की अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है, तो 48 मेगावाट के आधिक्य में अधिक अन्तःक्षेपण के लिए विचलन हेतु प्रभार शून्य होगा:

परन्तु यह और कि अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं के आधिक्य में किसी समय ब्लॉक में नवीकरणीय समृद्ध राज्यों द्वारा अधिक अन्तःक्षेपण के लिए विचलन हेतु प्रभार शून्य होगा।

परन्तु यह भी कि पवन एवं सौर उत्पादकों जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, के लिए विचलन हेतु प्रभारों को इस विनियम के उपखण्ड (V) से (VII) द्वारा शासित किया जाएगा।

4. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:

- (1) (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) शब्द, मूल विनियम के विनियम 7(1) के परन्तुकों को छोड़कर विनियम 7(1) में शब्द ‘क्रेता’ के बाद जोड़े जाएंगे।

- (2) मूल विनियम के विनियम 7 (1) के प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा।

“परन्तु यह कि समय ब्लॉक के दौरान किसी नवीकरणीय समृद्ध राज्य द्वारा विद्युत की अधिक निकासी/कम निकासी अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगी, जब ग्रिड बारंबारता “49.70 एच जेड और अधिक तथा 50.10 एच जेड से कम है”

- (3) मूल विनियम के विनियम 7(1) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक का लोप किया जाएगा:

“परन्तु यह कि विनियम 7 के अधीन यथा निर्धारित विचलन मात्रा की सीमाओं तथा इन सीमाओं को पार करने के परिणामों (विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित) पवन एवं ऊर्जा उत्पादकों के लिए लागू नहीं होंगे जो प्रादेशिक इकाइयां हैं।”

- (4) “/कम निकासी” शब्दों को मूल विनियम के विनियम 7(1) के अधीन “स्पष्टीकरण” में शब्दों “अधिक निकासी” के बाद जोड़ा जाएगा।

- (5) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“(2) विद्युत की कम अन्तःक्षेपण/अधिक अन्तःक्षेपण निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा जब ग्रिड बारंबारता “49.70 एच जेड या अधिक तथा 50.10 एच जेड से कम है”:-

क) क्रेता (नवीकरणीय समृद्ध राज्यों को छोड़कर) के लिए अनुसूचित अन्तःक्षेपण का 12% या 150 मेगावाट, इनमें जो भी कम है।

ख) नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के लिए अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमाएं:

परन्तु यह कि

i) यदि किसी समय ब्लॉक में विक्रेता की अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो किसी समय ब्लॉक में कम अन्तःक्षेपण/अधिक अन्तःक्षेपण 48 मेगावाट से अधिक नहीं होगा जब ग्रिड बारंबारता “49.70 एच. जेड. या अधिक तथा 50.10 एच. जेड. से कम है”

ii) परन्तु यह कि विनियम 7 के अधीन यथा निर्धारित विचलन मात्रा की सीमाओं तथा इन सीमाओं को पार करने के परिणाम (विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभारों को शामिल करते हुए) पवन एवं ऊर्जा उत्पादकों को लागू नहीं होंगे, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं।

iii) “विक्रेता द्वारा विद्युत का कोई कम अन्तःक्षेपण अनुज्ञेय नहीं होगा जब ग्रिड बारंबारता “49.70 एच.जेड से कम” है और विक्रेता द्वारा विद्युत का अधिक अन्तःक्षेपण अनुज्ञेय नहीं होगा जब ग्रिड बारंबारता “50.10 एच. जेड. और अधिक है।”

iv) परीक्षण और आरंभ की गई गतिविधियों के दौरान यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत या किसी इन्फर्म अन्तःक्षेपण को छः महीने से अनधिक अवधि के लिए उक्त

विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से या संयोजकता विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमत विस्तारित समय से छूट होगी।

v) स्टार्टअप गतिविधियों के लिए यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत की कोई निकासी को उक्त विनिर्दिष्ट मात्रा सीमा से छूट होगी जब ग्रिड बारंबारता "49.70 एच.जेड से और अधिक" है।

(6) मूल विनियम के विनियम 7(3) में "सारणी-I" शब्दों के बाद "और सारणी-III जैसी भी स्थिति हो" शब्दों को जोड़ा जाएगा।

(7) मूल विनियम के विनियम 7 (3) के अधीन सारणी-I के शीर्षक के स्थान पर, "विक्रेता/क्रेता (नवीकरणीय समृद्ध राज्य को छोड़कर) के लिए सारणी-I" रखा जाएगा।

(8) मूल विनियम के विनियम 7 (3) के अधीन सारणी-II के बाद निम्नलिखित सारणी जोड़ी जाएगी:

सारणी-III: नवीकरणीय समृद्ध राज्य के लिए:

(i)	किसी समय ब्लाक में एल मेगावाट से अधिक और एल+50 मेगावाट तक विद्युत की अधिक निकासी/कम अन्तःक्षेपण के लिए।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 20% के समतुल्य
(ii)	किसी समय ब्लाक में एल मेगावाट से अधिक और एल+100 मेगावाट तक विद्युत की अधिक निकासी/कम अन्तःक्षेपण के लिए।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 40% के समतुल्य
(iii)	किसी समय ब्लाक में एल+100 मेगावाट से अधिक विद्युत की अधिक निकासी/कम अन्तःक्षेपण के लिए।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार के 100% के समतुल्य

टिप्पणी: "एल" इनविनियमों के अनुबंध-III में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(9) मूल विनियम के विनियम 7 (3) के अधीन सारणी II के नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"परन्तु यह कि जब अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार उपरोक्त सारणी-I और सारणी-II के अनुसार 400 मेगावाट की अनुसूची के संदर्भ में निकाली गई विचलन की प्रतिशतता पर आधारित होगा।"

(10) मूल विनियम के विनियम 7(5) में, "अनुबंध-I और अनुबंध-II" शब्दों के स्थान पर "अनुबंध-I, अनुबंध-I-क और अनुबंध-II, अनुबंध-II-क" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल विनियम के अनुबंध-I का संशोधन:

(1) मूल विनियम के अनुबंध-I के शीर्षक में "क्रेता/विक्रेता" शब्दों के बाद "(नवीकरणीय समृद्ध राज्य को छोड़कर)" शब्द जोड़े जाएंगे।

(2) "दृष्टांत 'क' शीर्षक वाली सारणी के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा।

"परन्तु यह कि जब अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार 400 मेगावाट की अनुसूची के संदर्भ में निकाली गई विचलन की प्रतिशतता पर आधारित होगा।"

(3) मूल विनियम के अनुबंध-I के बाद एक नया अनुबंध अर्थात् अनुबंध-I-क जोड़ा जाएगा।

6. मूल विनियम के अनुबंध-II का संशोधन:

(1) मूल विनियम के अनुबंध-II के शीर्षक में "क्रेता/विक्रेता" शब्दों के बाद, "(नवीकरणीय समृद्ध राज्य को छोड़कर)" शब्द जोड़े जाएंगे।

(2) मूल विनियम के अनुबंध-II के पैरा क और पैरा ख के नीचे, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:

"परन्तु यह कि जब अनुसूची 400 मेगावाट से कम या बराबर है तो अनुसूची के 12% पर इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 48 मेगावाट के रूप में विचार किया जाएगा।"

(3) मूल विनियम के अनुबंध-II के बाद, नये अनुबंध, अर्थात् अनुबंध-II-क और अनुबंध-III जोड़े जाएंगे।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./82]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 06, तारीख 07.01.2014 को प्रकाशित किए गए थे; उसका शुद्धिपत्र भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 52 में, तारीख 17.02.2014 को प्रकाशित किया गया; मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 381, तारीख 31.12.2014 को प्रकाशित किया गया और द्वितीय संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 272, तारीख 10.08.2015 को प्रकाशित किया गया था।

अनुबंध— Iक

अधिक निकासी/कम अन्तःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं को पार करने के लिए नवीकरणीय समृद्ध राज्यों हेतु लागू विचलन के प्रभारों और विचलन के अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धतियां

- क. जब डी_{एल} अर्थात् मेगावाट में किसी समय ब्लाक में अनुसूची से विचलन अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम है तो प्रत्येक समय ब्लाक में विचलन के लिए सामान्य प्रभारों पर प्रादेशिक इकाइयों द्वारा डी_{एल} संदेय होगा;
- ख. जब डी_{एल} अर्थात् मेगावाट में किसी समय ब्लाक में अनुसूची से विचलन अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, तो प्रत्येक समय ब्लाक में
- (i) डी_{एल} = डी_{एल} - एल
जहां
एल = अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमा
डी_{एल} = प्रत्येक समय ब्लाक में अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधिक्य में विचलन।
- (iii) डी_{एल} के लिए तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों पर प्रादेशिक इकाइयों द्वारा संदेय होंगे; इसके अतिरिक्त डी_{एल} के लिए विचलन हेतु श्रेणीबद्ध अतिरिक्त प्रभार प्रत्येक स्लैब में वृद्धिशील विचलन के लिए विचलन के प्रभार के 20%, 40%, 100% की दर पर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिशतता की दृष्टि या मेगावाट की दृष्टि के आधार पर मात्रा सीमा को पार करने के लिए अधिक निकासी हेतु प्रादेशिक इकाइयों द्वारा संदेय होगा। इसे निम्नानुसार दिया गया है:

दृष्टांत

श्रेणी	विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार
डी _{एल} एल मेगावाट से अधिक और एल+50 मेगावाट तक है।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए 50X (डी _{एल} -एल)
डी _{एल} एल+50 मेगावाट से अधिक और एल+100 मेगावाट तक है।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए 100X (डी _{एल} -(एल+50))+2500)X प्रभार
डी _{एल} एल+100 मेगावाट से अधिक है।	समय ब्लाक की औसत ग्रिड बारंबारता के तत्स्थानी विचलन के लिए 250X (डी _{एल} -(एल+100))+7500) X प्रभार

2. जहां ग्रिड बारंबारता 49.7 एचजेड से कम है

डी_{एल} के तत्स्थानी विचलन के लिए प्रभार 824.04 पैसे/किलोवाट घण्टे पर प्रादेशिक इकाइयों द्वारा संदेय होंगे। इसके अतिरिक्त, डी_{एल} के लिए विचलन हेतु अतिरिक्त विचलन प्रभार 824.04 पैसे/किलोवाट घण्टे पर प्रादेशिक इकाइयों द्वारा संदेय होंगे।

अनुबंध—II—क

कम निकासी/अधिक अन्तःक्षेपण के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा सीमाओं को पार करने के लिए नवीकरणीय समृद्ध राज्यों हेतु लागू विचलन प्रभारों और विचलन के अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिए पद्धतियां

- क. जब डी_{एल} अर्थात् मेगावाट में किसी समय ब्लाक में अनुसूची से विचलन अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम है तो प्रत्येक समय ब्लाक में डी_{एल} विचलन के लिए सामान्य प्रभारों पर प्रादेशिक इकाई द्वारा प्राप्य होगा।
- ख. जब डी_{एल} अर्थात् मेगावाट में किसी समय ब्लाक में अनुसूची से अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है
- (i) डी_{एल} = डी_{एल} - एल
जहां
एल = अनुबंध—III में यथाविनिर्दिष्ट सीमा
डी_{एल} = प्रत्येक समय ब्लाक में अनुबंध—III में विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधिक्य में विचलन।

(iii) एल के लिए तत्स्थानी विचलन हेतु प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों या उच्चतम दर पर, इनमें जो भी कम हो, प्रादेशिक सत्ता द्वारा प्राप्य होंगे; प्रादेशिक सत्ता डीएल के लिए किसी प्राप्य की पात्र नहीं होगी।

ग. विचलन डीएल के लिए अतिरिक्त प्रभार कम निकासी/अधिक अन्तःक्षेपण के लिए प्रादेशिक इकाई द्वारा संदेय होंगे जब ग्रिड बारंबारता इस विनियम के खण्ड 7 (4) के अनुसार 50.10 एचजेड या अधिक है।

अनुबंध-III

नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के लिए विचलन सीमाएं

क्र.सं.	पवन एवं सौर परियोजनाओं की सम्मिलित संस्थापित क्षमता वाले राज्य	विचलन सीमाएं (मेगावाट)–“एल”
1	1000–3000 मेगावाट	200
2	>3000 मेगावाट	250

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2016

No.-L-1/(3)/2009-CERC.—In exercise of powers conferred by section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 (hereinafter “Principal Regulations”).

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) (Third Amendment) Regulations, 2016

(2) These regulations shall come into force with effect from 30.05.2016.

2. Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations:

(1) The following proviso shall be added below Regulation 2 (1) (h) of the Principal Regulations:

“Provided that deviation shall be calculated for the Regional Entities by the concerned RLDC/RPC which shall be attributed to various entities embedded within the State by SLDC.”

(2) The following clause shall be added after clause (m) of Regulation 2(1) of the Principal Regulations:

“(m-i) **Renewable Rich State** means a State whose minimum combined installed capacity of wind and solar power is 1000 MW or more.

Note: Combined installed capacity shall be reckoned on the basis of the capacity installed as on the last day of the month for the purpose of deciding the installed capacity for the next month.

3. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations:

(1) Clause (iii) of Proviso to Regulation 5(1) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“The charges for the deviation for under-drawals by the buyer (except Renewable Rich State) in a time block in excess of 12% of the schedule or 150 MW, whichever is less, shall be zero.

Provided that in case schedule of a buyer (except Renewable Rich State) in a time block is less than or equal to 400 MW, the charges for the deviation for the under-drawal in excess of 48 MW shall be zero

Provided further that Deviation for the under-drawal by the Renewable Rich State in excess of the limits specified in Annexure-III shall be zero.”

(2) Clause (iv) of Proviso to Regulation 5(1) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“The charges for the deviation for the over-injection by the seller (except Renewable Rich State) in a time block in excess of 12% of the schedule or 150 MW, whichever is less, shall be zero, except in case of injection of infirm power, which shall be governed by clause (5) of this regulation:

Provided that in case schedule of a seller (except Renewable Rich State) in a time block is less than or equal to 400 MW, the charges for the deviation for the over-injection in excess of 48 MW shall be zero:

Provided further that charges for deviation for over-injection by a Renewable Rich State in a time block in excess of limits as specified in Annexure-III shall be zero.

Provided also that charges for deviation for wind and solar generators which are regional entities, shall be governed by sub-clauses (v) to (vii) of this regulation.

4. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations:

(1) The words “(except Renewable Rich States)” shall be added after word “buyer” in Regulation 7(1), except in the provisos to Regulation 7(1) of the Principal Regulation.

(2) The following proviso shall be added before first proviso to regulation 7(1) of the Principal Regulations.

“Provided that over-drawal/under-drawal of electricity by any Renewable Rich State during the time block shall not exceed limits as specified in Annexure-III, when grid frequency is “49.70 Hz and above and below 50.10 Hz”

(3) The following proviso under Regulation 7 (1) of the Principal Regulations shall be deleted:

“Provided that the limits on deviation volume and consequences for crossing these limits (including the additional charges for deviation) as stipulated under Regulation 7 shall not apply to wind and solar generators which are regional entities.”

(4) The words “/under-drawal” shall be added after words “over-drawal” in “Explanation” under Regulation 7(1) of the Principal Regulations.

(5) Clause (2) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(2) The under-injection / over-injection of electricity shall not exceed following when grid frequency is “49.70 Hz or above and below 50.10 Hz”:

(a) 12% of the scheduled injection or 150 MW, whichever is lower for a seller (except Renewable Rich State).

(b) Limits as specified in Annexure-III for Renewable Rich State.

Provided that:

(i) In case schedule of a seller, in a time block, is less than or equal to 400 MW, under-injection / over-injection in a time-block shall not exceed 48 MW, when grid frequency is “49.70 Hz or above and below 50.10 Hz”.

(ii) Provided that the limits on deviation volume and consequences for crossing these limits (including the additional charges for deviation) as stipulated under Regulation 7 shall not apply to wind and solar generators which are regional entities.

(iii) No under injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is “below 49.70 Hz” and no over injection of electricity by a seller shall be permissible when grid frequency is “50.10 Hz and above.

(iv) Any infirm injection of power by a generating station prior to COD of a unit during testing and commissioning activities shall be exempted from the volume limit specified above for a period not exceeding 6 months or the extended time allowed by the Commission in accordance with Connectivity Regulations.

(v) Any drawal of power by a generating station prior to COD of a unit for the start up activities shall be exempted from the volume limit specified above when grid frequency is “49.70 Hz and above”.

- (6) The words "and Table III as the case may be" shall be added after words "Table I" in Regulation 7(3) of the Principal Regulations.
- (7) The title of Table-I under Regulation 7(3) of the Principal Regulations shall be substituted as "Table-I - for seller/buyer (except Renewable Rich State)".
- (8) Following table shall be added after Table (II) under Regulation 7(3) of the Principal Regulations:

Table III: For a Renewable Rich State

(i)	For over-drawal/under-injection of electricity above L MW and up to L+50 MW in a time block	Equivalent to 20% of the Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
(ii)	For over-drawal /under-injection of electricity above L+50 MW and up to L+100 MW in a time block	Equivalent to 40% of the Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.
(iii)	For over-drawal /under-injection of electricity above L+100 MW in a time block	Equivalent to 100% of the Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block.

Note: "L" shall be as specified in Annexure-III of the these Regulations.

- (9) Proviso below Table-II under Regulation 7(3) of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 "Provided that when the schedule is less than or equal to 400 MW, the additional charges for deviation shall be based on percentage of deviation worked out with reference to schedule of 400 MW as per Table-I and Table-II above."
- (10) In Regulation 7(5) of the Principal Regulations, the words "Annexure-I and Annexure-II" shall be replaced with the words "Annexure I, Annexure I-A and Annexure-II, Annexure-II-A".

5. Amendment of Annexure-I of the Principal Regulations:

- (1) In the heading of Annexure I of the Principal Regulations, the words "(except Renewable Rich State)" shall be added after words "Buyer/Seller".
- (2) The following proviso shall be added below the Table titled "Illustration "A":
 "Provided that when the schedule is less than or equal to 400 MW, the additional charges for deviation shall be based on percentage of deviation worked out with reference to schedule of 400 MW."
- (3) A new Annexure namely, Annexure-I-A shall be added after Annexure-I of the Principal Regulations.

6. Amendment of Annexure-II of the Principal Regulations:

- (1) In the heading of Annexure II of the Principal Regulations, the words "(except Renewable Rich State)" shall be added after words "Buyer/Seller".
- (2) Following proviso shall be added below Para A and Para B of Annexure-II of the Principal Regulations:
 "Provided that when the schedule is less than or equal to 400 MW, 12% of schedule will be considered as 48 MW for the purpose of this clause."
- (3) New Annexures namely, Annexure-II-A & Annexure-III shall be added after Annexure-II of the Principal Regulations.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./82]

Note: The Principal Regulations were published on 7.1.2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Serial No. 06; corrigendum thereof was published on 17.2.2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Serial No. 52; the first amendment to the Principal Regulations was published on 31st December, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Ser No. 381 and the second amendment was published on 10.8.2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Ser No. 272.

Annexure-I-A**Methodologies for the computation of Charges for Deviation and Additional Charges for Deviation applicable to Renewable Rich States for crossing the volume limits specified for the over-drawal/under-injection:**

- A. When D_{tb} i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is less than limits specified in Annexure-III, in each time block, D_{tb} to be payable by the regional entity at normal Charges for Deviation;
- B. When D_{tb} i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is more than limits specified in Annexure-III, in each time block

(i) $D_L = D_{tb} - L$

Where

L = Limit as specified in Annexure-III

D_L = Deviation in excess of limits specified in Annexure-III, in each time block

- (iii) The Charges for Deviation corresponding to D_{tb} shall be payable by the regional entity at normal Charges of Deviation; In addition, graded Additional Charges for the Deviation for D_L shall be payable by the regional entity for over-drawal for crossing the volume limit on the basis of percentage term or MW term, as the case may be @ 20%, 40%, 100% of Charge of Deviation for the incremental deviation in each slab. The same is illustrated as under:

Illustration

Category	Additional Charges for Deviation
D_{tb} is above L MW and up to $L+50$ MW	$50 \times (D_{tb} - L) \times$ Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block
D_{tb} is above $L+50$ MW and up to $L+100$ MW	$(100 \times (D_{tb} - (L+50)) + 2500) \times$ Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block
D_{tb} is above $L+100$ MW	$(250 \times (D_{tb} - (L+100)) + 7500) \times$ Charge for Deviation corresponding to average grid frequency of the time block

2. When the grid frequency is below 49.7 Hz:

The charges for deviation corresponding to D_{tb} shall be payable by the regional entity at 824.04 Paise/kWh. In addition, additional deviation charges for deviation for D_{tb} shall be payable by the regional entity at 824.04 Paise/kWh.

Annexure-II-A**Methodologies for computation of Charges for Deviation and Additional Charges for Deviation applicable to Renewable Rich State for crossing the volume limits specified for the under-drawal/over-injection**

- A. When D_{tb} i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is less than limits specified in Annexure-III in each time block, D_{tb} to be receivable by the regional entity at normal Charges for Deviation;
- B. When D_{tb} i.e. Deviation from schedule in a time block in MW is more than Limit as specified in Annexure-III

(i) $D_L = D_{tb} - L$

Where

L = Limit as specified in Annexure-III

D_L = Deviation in excess of limits specified in Annexure-III, in each time block

(ii) The Charges for Deviation corresponding to L shall be receivable by the regional entity at normal Charges of Deviation or the ceiling rate whichever is lower; the regional entity shall not be entitled to any receivable for D_L .

C. Additional Charges for the Deviation D_L shall be payable by the regional entity for under-drawal/over-injection when grid frequency is 50.10 Hz or above in accordance with clause 7 (4) of this Regulation.

Annexure-III

Deviation Limits for Renewable Rich States

S.No.	States having combined installed capacity of Wind and Solar projects	Deviation Limits (MW)-"L"
1	1000 – 3000 MW	200
2	> 3000 MW	250

